

- <><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में तीस सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता-प्राप्त संस्थानों, सम-विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू रहेगी। आयोग ने यह भी कहा कि इस वर्ष तीस सितंबर से इक्कीस अक्टूबर के बीच रिफंड जारी किया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम एक हजार रुपये की कटौती की जा सकेगी।

इक्कीस अक्टूबर के बाद के दाखिले के लिए, अक्टूबर-दो हजार अट्ठारह के प्रावधान लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दक्षिण अंडमान के धन्नीखाड़ी जंक्शन के पास आज दिन मे करीब साढ़े ग्यारह बजे अब्दुल नवाज़ नामक एक व्यक्ति की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोलदारी निवासी अब्दुल नवाज़ की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के पूर्व ड्राइवर वीरा कुमार को करीब चार घंटे के भीतर ही अबरडीन बाज़ार से गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है।

अंडमान निकोबार अग्नि और आपातकालीन सेवा में भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। दो हजार आठ से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस बल में पुलिस सिपाही फायरमैन और पुलिस सिपाही ड्राइवर के पदों में भर्ती के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पुलिस सिपाही फायरमैन के इक्यावन और पुलिस सिपाही ड्राइवर के ग्यारह पदों को भरा जा सकेगा। इन पदों के भर जाने से बल की सेवाओं में और सुधार होगा।

दक्षिण अंडमान पुलिस की समर्पित भावना से कार्य करने के फलस्वरूप पिछले दस दिनों के दौरान जिला पुलिस ने दो सौ पच्चीस सम्मन पेश किया है और पैंतालीस गैर जमानती वारंट पर काम किया है। पुलिस की इस त्वरित और समय पर कार्रवाई से न्याय दिलाने में भी मदद मिलती है। न्यायिक प्रक्रिया को समय पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मंगलुटान के सामुदायिक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन निदेशक डॉ. जतिन्दर सोहल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों से सही भावना से यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध करते हुए युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें इसके नियमों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सड़क सुरक्षा को अपने जीवन में उतारने और परिवार को भी इस बारे में जानकारी देने को कहा, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उप-निदेशक परिवहन ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए यातायात नियमों के महत्व के बारे में बोलते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। हम्प्रीगंज के थाना प्रभारी ने नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने और विभिन्न मोटर वाहन अधिनियमों के बारे में जानकारी दी। जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी और अन्य पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने परिवहन विभाग के इन प्रयासों की सराहना की। शिविर में बच्चों के लिए चित्रकारी और क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और मौके पर ही कई सेवाएं प्रदान की गईं। ढाई सौ से अधिक लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिला।

स्कूल ऑफ नर्सिंग में अल्प अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अंग्रेजी और कम्प्यूटर विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पच्चीस जून को सुबह दस बजे से स्कूल ऑफ नर्सिंग में इसके लिए सीधे साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन इक्कीस जून की शाम तीन बजे तक जमा कर सकते हैं।